receipt

REGISTRATION & STAMPS DEPARTMENT

SAMBHAR LAKE

SAMBHAR LAKE

(Rule 75 & 131)

FEE RECEIPT

Fee Sr. No.	: 2014002870	Dated	: 02/04/2014
Presenter Name	: NARBADA DEVI	Face Value	: 2015000
Presenter Address	: 187,SHYAMPURI,JHOTWADA,JAIPUR		
Document Type	: Sale Deed (Conveyance deed)		
Claimant Name	: UMESH KUMAR ARYA, 15,HARIJANMOHH.,DHADHA T. KOTPUTALI		
Document S.No.	: 2014003279	Stamp Value	: 10000

Ordinary Registration Fee	: 25100	Commission Fee	: 0
Copy/Scanning/Inspection Fee	: 300	Custody Fee	: 0
Fee for Memorandom u/s 64-67	: 0	Miscellaneous Fee	: 0
Certified Copying Fee u/s 57	: 0	Stamp Duty Cash	: 115480
Surcharge on Stamp Duty	: 12550		
Late Fee u/s 25-34	: 0		

TOTAL : 153430

Amount Rs. One Lakh Fifty Three Thousand Four Hundred Thirty only

Cashier

Sub Registrar, SAMBHAR

उप पंजीयक फुलेरा मु. सांभरलेक

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

दस हजार रुपये

रु. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

राजस्थान RAJASTHAN

381957

कार्यालय उप पंजीयक

सत्यमेव जयते

विक्रय पत्र

उप पंजीयक
फुलेरा मु. सांभरलेक

यह विक्रय पत्र आज दिनांक 02.04.2014 ईस्वी को विक्रेता नर्बदा देवी उम्र 45 वर्ष पत्नि मोहनलाल जाति बलाई निवासी 187 श्यामपुरी कालवाड रोड झोटवाडा जयपुर जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान

सतत्... 2 पर

5347 31/3/14

[illegible]

[illegible]

[illegible]

100000

[illegible]

सुशील कुमार शर्मा
लाईसेन्स स्टाम्प वेण्डर
साँभर लेक (जयपुर)

कार्यालय उप पंजीयक
सत्यमेव जयते
साँभर लेक

के है जिसे इस विक्रय पत्र मे आगे चलकर प्रथम पक्ष ''विक्रेता'' के नाम से जाना जायेगें की और से

बहक

उमेश कुमार आर्य उम्र 24 वर्ष पुत्र बहादुरमल आर्य जाति आर्य निवासी 15 हरिजन मोहल्ला, ढाढा तह.कोटपुतली जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान के हैं इन्हे इस विक्रय पत्र मे आगे शब्द ''द्वितीय पक्ष क्रेता'' के नाम से जाना जावेगा के हित मे यह विक्रय पत्र निम्न प्रकार से लेखबद्ध किया जा रहा है । इस विक्रय पत्र की सभी शर्तो से दोनो पक्ष स्वयं तथा दोनो पक्षों के सभी उत्तराधिकारी , स्थानापन्न, उत्तराधिकारी एजेन्ट, प्रतिनिधि व समस्त दायभागी पूर्ण रूप से पाबन्द एवं बाध्य रहेगें व इसकी शर्तो की पालना करते रहेगें ।

यह कि प्रथम पक्ष ने निजी खातेदारी की आराजी भूमि खसरा नम्बर 35/2 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा बारानी-2 वाके ग्राम डाकणियावास पटवार क्षेत्र बोबास तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित हैं जिसमे मुझ विक्रेता की सम्पूर्ण आराजी भूमी का बेचान ।

इस प्रकार से प्रथम पक्ष विक्रेता उक्त वर्णित बिक्रीत भूमि के बिना किसी अन्य व्यक्ति या संस्था के सीर के साझे के एकमात्र मालिक , स्वामी व काबिज अधिकारी चले आ रहे हैं तथा उक्त भूमि को प्रथम पक्ष विक्रेताने आज से पूर्व किसी भी अन्य व्यक्ति के हित मे रहन, विक्रय बख्शीश, हस्तान्तरण आदि नही किया हुआ है । तथा कहीं पर बन्धित भी नही किया गया है । उक्त भूमि प्रथम पक्ष विक्रेता की और से प्रत्येक प्रकार के झगडे टन्टे, ऋण भार, वाद-विवाद , सरकारी व अर्द्धसरकारी व जनसाधारण इत्यादि से मुवत पाक व साफ है जिसको प्रत्येक प्रकार से अपने काम मे लेने, रहन, विक्रय बख्शीश व हस्तान्तरित आदि करने के सम्पूर्ण मालिकाना अधिकार प्रथम पक्ष विक्रेता को प्राप्त है ।

यह कि प्रथम पक्ष विक्रेता को अपनी पारिवारिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए

सतत्..3 पर

कार्यालय उप पंजीयक सांभर लेक

आज दिनांक 2 माह April सन् 2014 को 16:50 बजे
श्री/श्रीमती/सुश्री NARBADA DEVI पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री MOHANLAL
उम्र 45 वर्ष, जाति BALAI व्यवसाय H.W
निवासी 187,SHYAMPURI,JHOTWADA,JAIPUR
ने मेरे सम्मुख दस्तावेज पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया।

हस्ताक्षर प्रस्तुतकर्ता हस्ताक्षर उप पंजीयक, SAMBHAR
(2014003279)
(Sale Deed (Conveyance deed))

रसीद नं0 2014002870 दिनांक 02/04/2014
पंजीयन शुल्क रू0 25100/–
प्रतिलिपि शुल्क रू0 300/–
पृष्ठांकन शुल्क रू0 0/–
अन्य शुल्क रू0 12550/–
कमी स्टाम्प शुल्क रू0 115480/–
कुल योग रू0 153430/–

(2014003279) उप पंजीयक, SAMBHAR
(Sale Deed (Conveyance deed))

रूपयों की आवश्यकता है इसलिए प्रथम पक्ष ने उपरोक्त वर्णित आराजी भूमि खसरा नम्बर 35/2 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा बारानी-2 वाके ग्राम डाकणियावास पटवार क्षेत्र बोबास तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित हैं मुझ विक्रेता की सम्पूर्ण आराजी को सम्पूर्ण स्वत्वा धिकारों एवं जमाशुदा प्रत्येक प्रकार की राशियों तमाम मालिकाना हक-हकूको, लाभांशो के अधिकारों सहित कुल 20,15,000/- रूपये अक्षरे बीस लाख पन्द्रह हजार रूपये मात्र की एवज में " क्रेता द्वितीय पक्ष **उमेश कुमार आर्य उम्र 24 वर्ष पुत्र बहादुरमल आर्य जाति आर्य निवासी 15 हरिजन मोहल्ला, ढाढा तह.कोटपुतली जिला जयपुर प्रान्त राजस्थान को** अन्तिम रूप से विक्रय कर दिया है तथा विक्रय मूल्य की सम्पूर्ण राशि नगद रोकडी प्राप्त कर लिया हैं जिसकी प्राप्ति प्रथम पक्ष विक्रेता अब इस विक्रय पत्र के लेख पर अपने हस्ताक्षर करते समय स्वीकार करते है अब प्रथम पक्ष को मूल्यधन पेटे द्वितीय पक्ष से कुछ भी लेना शेष नही रहा हैं ।

यह कि उक्त विक्रय की गई आराजी पर प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्षको अपने समान बहैसियत मालिकाना वास्तविक रूप से मोके पर कब्जा संभला दिया है । अब द्वितीय पक्ष इस विक्रय की गई आराजी पर प्रथम पक्ष के समान कानूनन एक मात्र मालिक, अधिकारी काबिज हो गये है । तथा इस विक्रय की गई आराजी के विषय में समस्त हक हकूक मालिकाना आदि जो अब तक प्रथम पक्ष को प्राप्त है वह अब आज से द्वितीय पक्ष को प्राप्त व निहित हो गये है व रहेंगे ।

अब द्वितीय पक्ष इस विक्रय की गई आराजी को बहैसियत मालिक अपनी इच्छानुसार

सतत्... 4 पर

उमेश कुमार आर्य

कार्यालय उप पंजीयक सांभर लेक

हस्ताक्षर फोटो अंगूठा

उक्त श्री/श्रीमती/सुश्री (Executant)
1-NARBADA DEVI/MOHANLAL
Age:45, Caste-BALAI
Ocu.-H.W
R/O-187,SHYAMPURI,JHOTWADA,JAIPUR

(And Claimant)
1-UMESH KUMAR ARYA/BAHADURMAL ARYA
Age:24, Caste-ARYA
Ocu.-AGR.
R/O-15,HARIJANMOHH.,DHADHA T. KOTPUTALI

ने लेख्यपत्र Sale Deed (Conveyance deed)
को पढ़ सुन व समझकर निष्पादन करना स्वीकार किया।
प्रतिफल राशी रू0 2015000/— पूर्व में/मेरे
समक्ष/मे सें रू0 2015000/—पूर्व में ——————
यमेरे समक्ष प्राप्त करना स्वीकार किया।

उक्त निष्पादन कर्ता की पहचान
1. श्री/श्रीमती/सुश्री MANGAL SINGH
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHERSINGH उम्र 32 वर्ष
जाति RAJPUT व्यवसाय AGR.
निवासी JOBNER T.PHULERA

2. श्री/श्रीमती/सुश्री GHANSHYAM
पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री SHIVSAHAY उम्र 27 वर्ष
जाति BRAHMAN व्यवसाय AGR.
निवासी JAIPUR ने की है जिनके

समस्त हस्ताक्षर एंव अगूंठा के निशान मेरे समक्ष लिये गयें हैं।

(2014003279)
(Sale Deed (Conveyance deed))

उप पंजीयक, SAMBHAR

हर प्रकार से अपने उपयोग-उपभोग मे लेवे , भूमी रूपान्तरण करावे , खुद काश्त करे दूसरो को देकर फायदा उठावे , अथवा इसे इकजाई अथवा खण्डों मे विभक्त कर किसी को भी रहन, विक्रय बख्शीश आदि जिस प्रकार चाहे हस्तान्तरित आदि करें । अब विक्रय की गई सम्पूर्ण आराजी से प्रथम पक्ष व उसके किसी भी उत्तराधिकारी , स्थानापन्न व प्रतिनिधि आदि का किसी भी प्रकार का कोई हक व सम्बन्ध नही रहा है और ना ही भविष्य मे रहेगा ।

यह कि इस विक्रय की गई आराजी के सम्बन्ध मे आज से पहले की कोई बकाया चार्ज, भार , टेक्स या वाद-विवाद सरकारी व जनसाधारण आदि का निकलेगा याप्रथम पक्ष का कोई उत्तराधिकारी , स्थानापन्न, प्रतिनिधि पारिवारिक सदस्य का कोई अन्य दीगर व्यक्ति इस विक्रय पत्र के खिलाफ किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति उठायेगा तो उसका निपटारा प्रथम पक्ष स्वयं अपने खर्चे व पैरवी से करेगे, द्वितिय पक्ष का इससे कोई सम्बन्ध नही होगा ।

यह कि विक्रय की गई आराजी का आज से पूर्व का कोई ऋण भार सरकारी, अर्द्धसरकारी , बैंक एवं जनसाधारण का अदा या बकाया वहन करना पडे तो ऐसी सम्पूर्ण हानि को मय हर्चे खर्चे सहित प्रथम पक्ष अथवा उसकी प्रत्येक प्रकार की चल व अचल सम्पत्ति से एकमुश्त वसूल करने का हक व अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा । इसमे प्रथम पक्ष व उनके उत्तराधिकारीयों को किसी प्रकार की कोई आपत्ति करने का हक व अधिकार नही होगा ।

यह कि विक्रय की गई आराजी के सम्बन्ध मे असल कागजात जो भी प्रथम पक्ष के पास मौजूद है वह समस्त दस्तावेज प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को संभला दिया है । विक्रय की गई आराजी के सम्बन्ध में इस विक्रय पत्र के जरिये द्वितीय पक्ष को राजकिय रिकार्ड मे नाम दर्ज करवाने व अपने नाम नामान्तरण खुलवाने का पूर्ण हक व अधिकार होगा और इस सम्बन्ध में प्रथम पक्ष के किसी बयान या हस्ताक्षरों आदि की आवश्यकता होगी तो प्रथम पक्ष पूर्ण कानूनी सहयोग देने के

सतत्... 5 पर

लिए सदैव तत्पर व बाध्य रहेगे। यह कि विक्रय पत्र से सम्बन्धित समस्त प्रकार का खर्चा द्वितीय पक्ष द्वारा मूल्यधन के अलावा अलग से वहन किया हैं ।

विक्रय की गई आराजी का विवरण

उपरोक्त वर्णित भूमी आराजी खसरा नम्बर 35/2 रकबा 20 बीघा 03 बिस्वा बारानी-2 वाके ग्राम डाकणियावास पटवार क्षेत्र बोबास तहसील फुलेरा जिला जयपुर में स्थित हैं जिसमे मुझ विक्रेता की सम्पूर्ण आराजी भूमी का बेचान ।

उक्त आराजी राजकीय राजमार्ग से डेढ किमी. दूर हैं ।

अतः यह विक्रय पत्र विक्रेता प्रथम पक्ष ने अपनी राजी खुशी एवं स्थिर बुद्धि की अवस्था मे बिना किसी उज्र व दबाव के स्टाम्प किमती 10000/- रू. किता 1 व पाईपेपर नग 4 कुल किता 5 पर लिखवाकर निम्न दो हस्ताक्षरकर्ता गवाहान के समक्ष इसकी प्रत्येक इबारत को पढ सुनकर अपने हस्ताक्षर कर तहरीर व तकमील करवा दिया हैं कि सनद् रहे और समय पर काम आवे

इति दिनांक 02.04.2014

हस्ताक्षर द्वितीय पक्ष क्रेता

हस्ताक्षर प्रथम पक्ष विक्रेता

साक्षी : 1
नाम .... उम्र 33 .... जाति .... तहसील ....
पुत्र श्री ....
निवासी ....

साक्षी : 2
नाम .... उम्र 22 ....
पुत्र श्री .... जाति ....
निवासी .... तहसील ....

धारा 54 के तहत प्रमाण–पत्र
प्रमाणित किया जाता है कि इस विक्रय पत्र
की मालियत रूपये 2509481
मानते हुए इस पर देय कमी मुद्रांक
राशि 115480 पर कमी पंजीयन शुल्क
रूपये 25100 कुल रूपये 153430
जरिये रसीद संख्या 2014002870 दिनांक 02/04/2014
में जमा किये गये है।
अतः दस्तावेज को रूपये 125480
के मुद्रांकों पर निष्पादित माना जाता है।

(2014003279) उप पंजीयक, SAMBHAR
(Sale Deed (Conveyance deed))

आज दिनांक 02/04/2014 को
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 470
में पृष्ठ संख्या 113 क्रम संख्या 2014002650 पर
पंजिबद्व किया गया तथा अतिरिक्त
पुस्तक संख्या 1 जिल्द संख्या 694
के पृष्ठ संख्या 115 से 124 पर
चस्पा किया गया।

(2014003279) उप पंजीयक, SAMBHAR
(Sale Deed (Conveyance deed))

ग्रामीण सेवा शिविर अभियान-2025

NAGAR PALIKA, JOBNER
GOVERNMENT OF RAJASTHAN

क्रमांक: LSGCLU90A/2025-26/105723

दिनांक: 26/09/2025

विषयः – राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क के अधीन कृषि भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा प्रदान करने।

आदेश

मामले के संक्षिप्त तथ्य निम्नानुसार है :

श्री **UMESH KUMAR ARYA** पुत्र श्री **BAHADUR MAL ARYA** जाति **BALAI**

1. ऊपर नामित आवदेक ने राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 90–क के अधीन भूमि का **फार्म हाउस** प्रयोजन के लिए उपयोग हेतु अनुज्ञा देने के लिए आवेदन किया है :

क्र.सं.	ग्राम, तहसील	खातेदार का नाम	खसरा सं.	क्षेत्रफल (वर्ग मीटर)
1.	DAKNIYAWAS, DAKNIYAWAS	UMESH KUMAR ARYA	35/2	20000
			कुल	**20000**

2. आवेदक ने आवेदन के साथ नवीनतम प्रमाणित जमाबंदी की प्रति, राजस्व खसरा अनुरेख, सम्यक् रूप से अनुप्रमाणित क्षतिपूर्ति बंधपत्र और शपथपत्र, की –मैप, अभिन्यास योजना, सर्वेक्षण नक्शा और अन्य सुसंगत दस्तावेज प्रस्तुत किये हैं।

3. यह कि मैने आवेदक द्वारा प्रस्तुत आवेदन और दस्तावेजो/कथनों का परीक्षण कर लिया है। मैने संबंधित तहसीलदार की रिपोर्ट और स्थानीय प्राधिकारी की सहमति रिपोर्ट का परीक्षण कर लिया है। मेरी यह राय है कि आवेदित भूमि का गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए वांछित उपयोग मास्टर योजना/विकास योजना/स्कीम के अनुरूप है और आवेदक के आवेदन को, राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90–क और राजस्थान अभिधृति अधिनियम की धारा 63 को तद्धीन बनाये गये नियमों के उपबंधो के अनुसार ऐसी भूमि पर अभिधृति अधिकार निर्वापित करके भूमि का **फार्म हाउस** प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु अनुज्ञा प्रदान करने के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

4. अतः अब इसके द्वारा आदेश दिया जाता है कि उपरोक्त भूमि पर आवेदक के अभिधृति अधिकारों को उक्त भूमि का प्रयोजन के लिए उपयोग करने हेतु निर्वापित किया जावेगा और इस आदेश की तारीख से उक्त भूमि को, उक्त भूमि का आवेदक/आवेदक द्वारा नाम निर्दिष्ट व्यक्तियो को, उक्त स्थानीय प्राधिकारी द्वारा लागू विधि, नियमों, विनियमो या उप–विधि के अनुसार आवंटन के लिए स्थानीय प्राधिकारी के व्ययनाधीन रखा गया समझा जायेगा।

5. आवेदक द्वारा उस भूमि को, जिसके लिए यह अनुज्ञा दी गयी है, यथाविहित प्रीमियम, नगरीय निर्धारण के साथ ही विनिर्दिष्ट अन्य प्रभारों के निक्षेप और सुसंगति विधि के अधीन अभिन्यास योजना के अनुमोदन के पश्चात, स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सम्यक् आवंटन किये जाने के पश्चात ही गैर–कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग में लिया जावेगा।

6. इन विनियमों के अधीन विहित और स्थानीय प्राधिकारी द्वारा सुसंगत विधि के अनुसार अधिरोपित निबंधनों और शर्तो की आवेदक द्वारा पालना की जावेगी।

यह आदेश अधोहस्ताक्षरी के हस्ताक्षर और मुहर के अधीन आज दिनांक **26-09-2025** को पारित किया गया है।

Signature valid

Digitally Signed by RAKESHSHARMA
Designation : EO/ COMMISSIONER
Date: 2025.09.26 14:40:29 IST
Reason: Approved
Location: Rajasthan, IN

नोटः यह एक डिजिटल हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र है और इसके लिए किसी भौतिक हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

ग्रामीण सेवा शिविर अभियान-2025

कार्यालय तहसीलदार जोबनेर

क्रमांक / 48/ग्रा.से.शि.अ.2025/55 दिनांक 26/9/25

पटवारी हल्का
बोबास

पटवारी हल्का बोबास को प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में नियमानुसार कार्यवाही करे।

तहसीलदार (भू.अ.)
जोबनेर (जयपुर)

Put Up For Approval

Date : 26/09/2025 05:51:27 PM

District : 09 जयपुर, Tehsil : 359 जोबनेर, RI : 1542 आसलपुर, Halkas : 06151 बोबास, Village : 23238 डाकणियावास

					Unit:		
Mutation No.	Mutation	User	Plot No.	Area	Mutated	Area	type
644	09/26/2025	MAYA	35/2	5.0959(ROR)	224/35 225/35	NA NA	

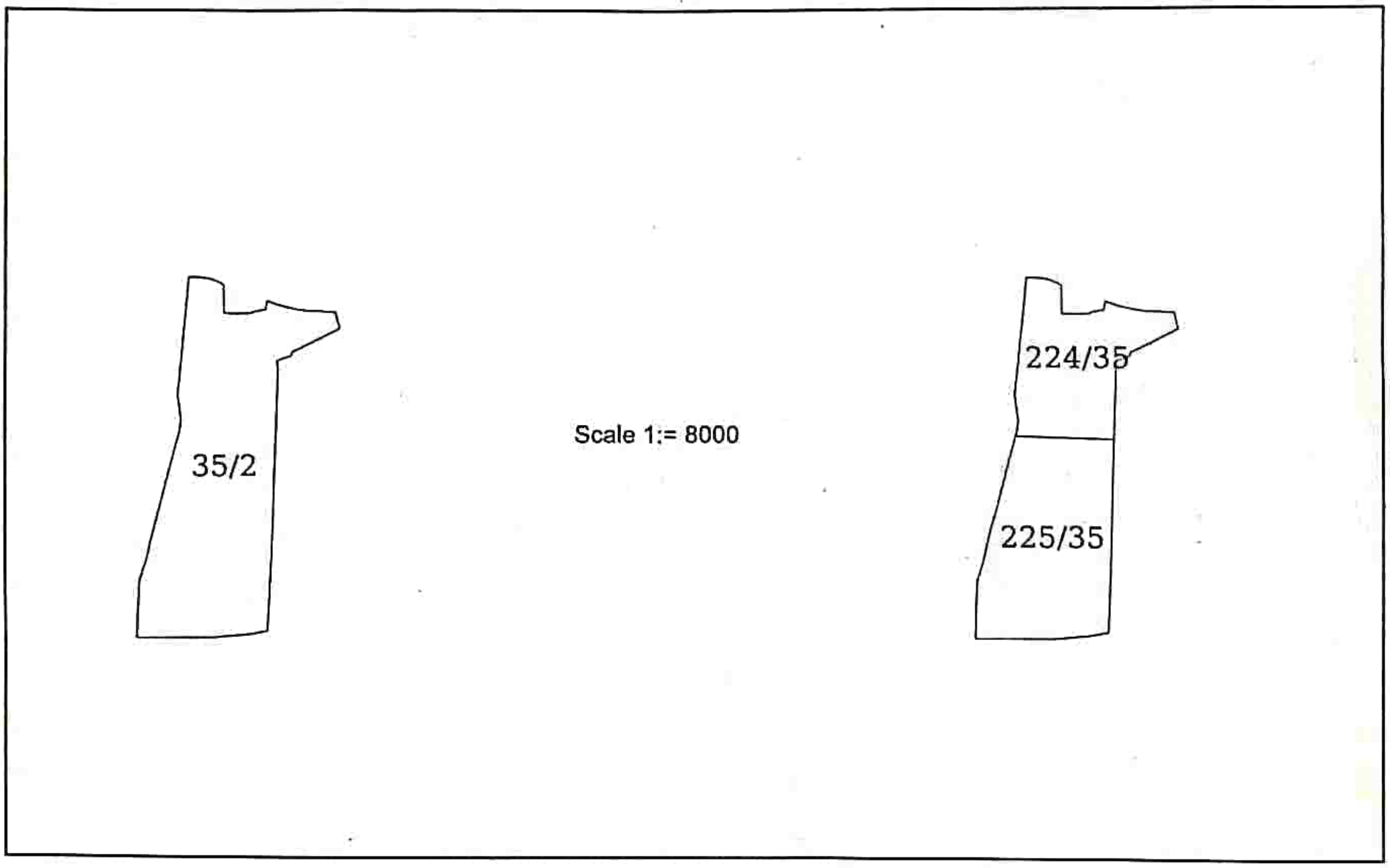

26/09/25

29/09/25

नामांतरकरण प्रपत्र (प-21)

ग्राम :डाकणियावास	पटवार मण्डल :बोबास	भू.अ.नि.वृत:आसलपुर	तहसील:जोबनेर	जिला:जयपुर

नामांतरकरण का प्रकार : समर्पण	प्रविष्टि का क्रम संख्या एवं दिनांक :644 29/09/2025	संवत तथा ढाल बांछ की क्रम संख्या:2074-2077
रजिस्ट्रीकरण/बंधक संख्या एवं दिनांक :		नामांतरकरण शुल्क :20 शास्ति : 0

सही किये जाने के लिए प्रतिस्थापित वर्तमान जमाबंदी (खतौनी) में की प्रविष्टि						जमाबंदी में प्रतिस्थापित किये जाने के लिए प्रस्तावित नयी प्रविष्टि					
खाता संख्या	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खाता संख्या	विशिष्टियों सहित काश्तकार का नाम	खसरा संख्या	क्षेत्रफल	मृदा वर्गीकरण	राजस्व लगान
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	35/2	5.0959	बारानी 2	14.12	1.) उमेशकुमारआर्य पुत्र बहादूरमल हिस्सा- पूर्ण जाति- बलाई मोहल्ला ढाढा तह. कोटपुतली जिला जयपुर खातेदार	4	1.) उमेशकुमारआर्य पुत्र बहादूरमल हिस्सा- पूर्ण जाति- बलाई मोहल्ला ढाढा तह. कोटपुतली जिला जयपुर खातेदार	225/35	3.0959	बारानी 2	8.58
खाता : 4	**कुल खसरे : 1**	**कुल क्षेत्रफल : 5.0959**			**कुल काश्तकार : 1**	**खाता : 4**	**कुल काश्तकार : 1**	**कुल खसरे : 1**		**कुल क्षेत्रफल: 3.0959**	
						120	1.) नगरपालिका जोबनेर हिस्सा- पूर्ण जाति- NA. संस्था के लिए	224/35	2.0000	फार्म हाऊस प्रयोजन	0.00
						खाता : 120	**कुल काश्तकार : 1**	**कुल खसरे : 1**		**कुल क्षेत्रफल: 2.0000**	

खातों का विवरण:-

खाता : 4	**कुल खसरे : 1**	**कुल क्षेत्रफल : 5.0959**	**कुल काश्तकार : 1**	**खाता : 4**	**कुल काश्तकार : 1**	**कुल खसरे : 1**	**कुल क्षेत्रफल : 3.0959**
				खाता : 120	**कुल काश्तकार : 1**	**कुल खसरे : 1**	**कुल क्षेत्रफल : 2.0000**

पटवारी की रिपोर्ट :श्रीमानजी मुताबिक समर्पण पत्र व आदेश के अनुसार नामान्तरण दर्ज कर वास्ते जांच एवं आदेशार्थ प्रस्तुत है ।

पटवारी का नाम KRISHAN KUMAR YADAV
दिनांक 10/1/2025 3:56:43 PM

ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी की जांच रिपोर्ट :
मुताबिक पटवारी रिपोर्ट नामान्तरकरण स्वीकृत किया जाता है

ग्राम पंचायत/ राजस्व अधिकारी का नाम GHANSHYAM SINGH DEVAL
दिनांक 01-10-2025 17:31:03

दस्तावेज देखे

जमाबन्दी
(प्रतिलिपि)

प्रपत्र पी-26 (सी)
(देखिये नियम 153 ए)

ग्राम का नाम :- डाकणियावास

पटवार हल्का :- बोबास

भू.अभि.नि. :- आसलपुर

तहसील :- जोबनेर

जिला :- जयपुर

अंतिम चौसला आधार संवत :- 2074-2077 जमाबंदी 2078 (वर्ष 2022) से स्थायी

भूमि धारक का नाम :- राज.सरकार

क्षेत्रफल की ईकाई :- हैक्टेयर

खाता संख्या नया :- 120

खाता संख्या पुराना :- 85

काश्तकार का नाम:-

1. नगरपालिका जोबनेर हिस्सा- पूर्ण जाति- NA. संस्था के लिए,

खसरा संख्या	क्षेत्रफल	भूमि वर्गीकरण		कृषक द्वारा संदत्त लगान	सिंचाई के साधन	अन्तरण के क्रम में प्रमाणित नामान्तरकरण संख्या व दिनांक	टिप्पणी
224/35	2.0000	फार्म हाऊस प्रयोजन	2.0000	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 644 01/10/2025सर्मपण	
226/225	2.0000	फार्म हाऊस प्रयोजन	2.0000	0.00		स्वीक्रत नामांतरकरण : 648 11/11/2025सर्मपण	
कुल खसरे - 2	4.0000		4.0000	0.0000			

यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है |

इसका उपयोग किसी भी न्यायालय मे साक्षी के रूप मे नहीं किया जा सकता है |

नकल जारी करने की तिथि :- 11-Nov-2025